



आनंद मालवीय
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 9-6-2016
को प्रस्तुत ✓

442/09.06.2016

[Signature]
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

पुनरीक्षण क्रमांक - /2016

प्रस्तुति दिनांक - 08/06/2016

~~बद्वान राजस्व मंडल, म.प्र. इंदौर केम्प 5-दौर~~
माननीय ~~अध्यक्ष महोदय, सभाम इंदौर~~ के समक्ष

118-2029-PBR-16

कड़वा पिता गुंदा भीलाला,

निवासी - ग्राम - कोयड़िया, तहसील - अंजड़,

जिला - बड़वानी (म.प्र.)

..... पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

गोपाल पिता लाला सिर्वी

निवासी - ग्राम - हतौला, तह.-ठीकरी,

जिला - बड़वानी (म.प्र.)

..... प्रत्यर्थी

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता



1959 के तहत

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उक्त पुनरीक्षण तहसीलदार तह.-अंजड़ जिला-बड़वानी, (म.प्र.) द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक - 05/अ-70/2014-2015 में दिनांक 16/05/2016 को पारित आदेश से व्यथित होकर उक्त पुनरीक्षण आवेदन निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की जा रही हैं।

प्रकरण के तथ्य


प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, प्रत्यर्थी द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन पत्र को सुनवाई में लेते हुए तहसील महोदय अंजड़ द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को सूचना पत्र जारी किये गये। जिसमें पुनरीक्षणकर्ता नियमित रूप से प्रकरण में उपस्थित हो रहा था। उक्त प्रकरण को तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 16/10/2015 को प्रत्यर्थी के अनपस्थित होने पर अन्त में दिनांक

[Handwritten notes]
2/2/16




22.6.2016

आवेदक की ओर से श्री ^{प्रस्तुतकार}
अमित माकवीय आभिषाषक उपाध्याय!
श्राद्धता का सुना गया। उनका केवल
महत्व है कि उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत
करने का अवसर उपलब्ध नहीं कराया
जा रहा है। अतः तहसीलदार


Anil Kumar Adv.
22/6/16

को निर्देश दिये जाते हैं कि
तहसीलदार आवेदक को साक्ष्य का
अवसर उपलब्ध कराये।




अध्यक्ष